

राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020

प्रस्तावना :-

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने, हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्य बनाए रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने हेतु “ राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” की स्थापना की गई है।

इस प्रकार के विनियम एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं।

उद्देश्य :-

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की परंपरागत हाथकरघा सूती वस्त्र उत्पादन कला-कौशल को संरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन में उत्कृष्टता लाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

संक्षिप्त नाम :-

(अ) इस नियम का संक्षिप्त नाम “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” होगा।

(ब) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(अ) हाथकरघा से तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के हाथकरघा जैसे - फ्रेमलूम, पिटलूम, जेकार्ड लूम आदि से है जो हस्तचलित (मानव शक्ति) हो।

(ब) बुनकर से तात्पर्य उपरोक्त बिन्दु क्रमांक- “अ” अनुसार करघों पर सूती वस्त्र बुनाई का कार्य करता हो।

(स) निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मण्डल (जूरी) से है।

पुरस्कार का स्वरूप :-

प्रदेश में हाथकरघा पर सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2 बुनकरों को “ राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020 ” अंतर्गत पुरस्कार राशि एक-एक लाख के मान से कुल राशि रूपये 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रूपये) मात्र नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल के रूप में दिय जायेगा। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 2 बुनकरों को दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र पृथक-पृथक दिया जावेगा।

प्रविष्टियां :-

प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र बुनकरों के द्वारा हाथकरघा पर पारंपरिक/ आधुनिक डिजाइन में विभिन्न रंगों के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र शामिल होंगे। उक्त पुरस्कार योजना में कोसा वस्त्र बुनकरों की प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी।

पुरस्कार योजना की शर्तें :-

- (1) प्रविष्टि हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। (आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।)
- (2) प्रस्तुत प्रविष्टि हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नहीं है।
- (3) प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई किया गया है। के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
- (4) एक आवेदक की एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जावेगी।
- (5) पूर्व पुरस्कृत प्रविष्टि इस योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु ग्राह्य नहीं होगी। इस योजनान्तर्गत प्रविष्टि प्रथमबार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

- (6) पुरस्कार दिये जाने हेतु चयनित प्रविष्टि तथा पुरस्कार वितरण सपन्न हान के मध्य याद सबाधत बुनकर का निधन हो जाता है तो चयनित एवं घोषित पुरस्कार उस बुनकर द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- (7) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने जाने एवं ठहरने के लिए शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।
- (8) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

प्रविष्टि आमंत्रण :-

- (1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में, आवेदन के साथ कलेक्टर के माध्यम से या सीधे आमंत्रित की जावेगी। प्राप्त प्रविष्टियां कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर "संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) रायपुर" को अग्रेषित की जावेगी। आवेदक पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि आवेदन पत्र व संबंधित कागजात सहित संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ रायपुर को बंद लिफाफे में सीधे भी भेज सकते हैं। जिले में पदस्थ उप/सहायक संचालक (हाथकरघा) उक्त पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार एवं संबंधित कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी।
- (2) प्रविष्टि आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी करने की तिथि में संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे।
- (3) (अ) चयन के लिए नियमों में उल्लेखित मापदण्ड एवं शर्तों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
(ब) अगर किसी बुनकर की प्रविष्टि किसी वर्ष चयनित नहीं होती है तो वह बुनकर आगामी वर्ष में अपनी प्रविष्टि पुनः पुरस्कार हेतु भेज सकता है।
(स) प्रविष्टि में दिये अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा पुरस्कार के संबंध में अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/ प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा।
(इ) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीयन किया जावेगा :-

क्र.	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद तथा पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4

निर्णायक मण्डल (जूरी) का गठन :-

राज्य शासन, संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा, जिसमें हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

Q

निर्णायक मण्डल की शक्तियों :-

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन, अंतिम व बंधनकारी होगा।
2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निर्णायक मण्डल के बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
4. निर्णायक मण्डल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :-

पुरस्कार के लिए हाथकरघा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश व मापदण्ड रहेंगे :-

1. पुरस्कार हेतु बुनकर आवेदक को इस योजना के समस्त नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
2. निर्णायक मण्डल द्वारा प्रासंगिक/मौलिक/परंपरागत/आधुनिक डिजाइनों, रंग संयोजन, बुनाई में विविधता आदि को दृष्टिगत रखते हुए बुने हुए वस्त्रों की विशेषता के आधार पर चयन किया जावेगा।
3. निर्णायक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

पुरस्कार की घोषणा :-

निर्णायक मण्डल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

व्यय की सम्पूर्ति :-

पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं से पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा की जावेगी।

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :-

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग में वेष्टित होंगे।

अन्य दायित्वों का निर्वहन :-

प्रतिवर्ष प्राप्त पुरस्कार एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा संधारित किया जावेगा। पुरस्कृत प्रविष्टि राज्य शासन की संपत्ति होगी, जो राज्य के संग्रहालय अथवा संबंधित विभाग के प्रदर्शन कक्ष में जनदर्शन हेतु रखी जावेगी।

Gwema

(चंद्रकांत वर्मा)

(I.A.S.)


संचालक

ग्रामोद्योग हाथकरघा
रायपुर (छ.ग.)

राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020
वर्ष 2023-24 के लिए प्रविष्टियां प्रस्तुत करने बाबत आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

संचालक,
ग्रमोद्योग संचालनालय,
हाथकरघा प्रभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर.



द्वारा :- कलेक्टर, जिला
छत्तीसगढ़ प्रदेश.

विषय :- राज्य स्तरीय “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020”
वर्ष 2023-24 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

राज्य स्तरीय “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” वर्ष 2023-24 में सम्मिलित होने बाबत आवेदन-पत्र एवं हाथकरघा सूती वस्त्र का नमूना (प्रविष्टि) प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

- 1) बुनकर का नाम एवं पूर्ण पता :
(छत्तीसगढ़ मूल निवासी का :
प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
- 2) उम्र (जन्म तिथि सहित अंकित करें) :
(जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/सरपंच का प्रमाण पत्र)
जो उपलब्ध हो, संलग्न करें।
- 3) गुरु अथवा शिक्षक का नाम व पता :
(जिससे बुनाई का प्रशिक्षण मिला है)
- 4) हाथकरघा बुनाई से संबंधित अनुभव : वर्ष
- 5) वर्तमान मासिक आय : रूपये
- 6) यदि पूर्व में कोई पुरस्कार मिला हो :
तो उसका विवरण :

7) क्या वस्त्र बुनकर द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है
एवं उक्त प्रविष्टि, पुरष्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है.....
(स्टांप पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें)

8) पुरस्कार हेतु प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि का विस्तृत विवरण

<u>वस्त्र का नाम/विवरण</u>	<u>साईज</u>	<u>मूल्य</u>
.....

9) प्रविष्टि की विशेषता

10) अन्य जानकारी जो बुनकर देना चाहे

11) पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ पाने की दशा में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति का नाम, पता व रिश्ता

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त प्रविष्टि मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुनाई की गई है, मैं इसे मेरी जिम्मेदारी पर “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” वर्ष 2023-24 की प्रविष्टि हेतु दे रहा/रही हूँ। इसके रख रखाव में किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करूँगी। चयन समिति द्वारा उक्त पुरस्कार हेतु लिया गया अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक :-

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

नाम :-.....

पता :-.....

राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020
वर्ष 2023-24 हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी
पिता/पति श्रीनिवासी
ग्रामतहसीलजिला
प्रदेश, सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” वर्ष 2023-24 के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रविष्टि (वस्त्र का नाम व किस्म)
.....मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुना गया है, और मैं विगत
..... वर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य व्यक्तिगत/.....
..... बुनकर सहकारी समिति मर्याके माध्यम से करता आ रहा/रही हूँ। प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि पूर्व पुरस्कृत नहीं है तथा पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि उपर्युक्त कथन असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर “राजराजेश्वरी करुणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020” के लिये अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस दौरान यदि इस मद के लिए लाने ले जाने में अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से कोई नुकसान/चोरी आदि होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, शासन की नहीं होगी। योजना की समस्त नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं।

पुरस्कार हेतु चयन होने की दशा में मैं पुरस्कार ग्रहण करने की सहमति प्रदान करता हूँ।

पूरा नाम

पता

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- उक्त शपथ पत्र 50/- के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।